तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/11/24	पत्रावली पेश। पूर्व आदेशानुसार कार्यवाही। पालना हेतु पत्रावली दिनांक 17-1-25 को पेश हो।	
17/1/25	पत्रावली पेश। अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 7-3-25 को पेश हो	
7/3/25	पत्रावली पेश। अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद तामीलों के अनु० हैं। बार 2 आवाजें दिलवाई गई। अन्तिम बार 5.00 p.m. पर पुनः आवाजें दिलवाई गई। अनु० रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी संख्या 3 फोरमल पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/5/25 को पेश हो।	
19/5/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 23/05/2025 को पेश हो।	मि० मिशाल लाल
23/05/25	पत्रावली पेश। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया की विवादित भूमियाँ प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 व 2 के सयुक्त खाते की भूमियाँ	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

P.T.O.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
है, विवादित भूमियों का प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्वजों के समय से ही बंटवारा होकर, हिस्सेनुसार अपने-अपने हिस्से की भूमियों पर कब्जा काश्त कर रहे है। और चाह से सिचांई कर रहे है। विवादित भूमियो का विधिवत कानूनन बंटवारा नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते है। व मेडो को नष्ट कर देते है। अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि पर जबरदस्ती तारफेसिंग करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी-1 से 2 को प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर से बेदखल नही करने, रास्ते को नष्ट नही करने, चाह से सिचांई करने मे व्यवधान नही करने, तारफेसिंग नही करने की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। हमने वकील प्रार्थी की बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित भूमियो प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त खाते मे दर्ज है। जिसमे प्रार्थी अपने हिस्से की भूमियों जो कि उसे पारिवारिक बंटवारे से प्राप्त हुई है, पर अपने हिस्से की हद तक अप्रार्थी को पाबन्द करने का अधिकार प्राप्त है। विवादित भूमियों मे प्रार्थी सहखातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। विवादित भूमियो मेसैवार पत्र मे अंकितानुसार पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हिस्से की भूमियो पर काश्त करने से व राजस्व रिकॉर्ड मे सहखातेदार होने व हिस्से मे प्राप्त भूमियो की हद तक T.I. चाहे जाने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक मे बन रहा है। विवादित भूमियो मे अपने हिस्से की भूमि	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा...
	पर प्रार्थी के कब्जेकाश्त मे दखलंदाजी अप्रार्थी द्वारा करने, तारफेसिंग करने व चाळु से सिंचाई करने मे व्यवधान करने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना बनी हुई है।	
	अत: उपरोक्त बिन्दु वाईज विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनने से, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के हक में बनने से एवं प्रार्थी की अपूरणीय क्षति की संभावना बनी हुई है। अत: प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण अप्रार्थी 1 व 2 को तार्फैसला बाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खाता सं० 34 के ख०सं० 200, 201, 202, 203, 204, 205, 562 कुल किता 7 कुल रकबा 2.4605 हैक्टेयर वाके ग्राम सद्दुसपुरिया प०म० सद्दुसपुरियां मे निहित वादी/प्रार्थी के खातेव हिस्से की भूमि की हद तक उसे काश्त करने/ चाळु से सिंचाई करने मे व्यवधान पैदा नहीं करे, रास्ते को नष्ट नहीं करे, प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर तारफेन्सिंग नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	